संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन मध्यप्रदेश

क्र. 9 / नर्सिंग / सेल–1 / एफ–13 / 2013 /   भोपाल, दिनांक .09.2013

//आदेश//

दिनांक 6.6.2013 एवं 26.6.2013 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में परिभ्रमण में रखे गये कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु दिनांक 06.09.2013 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश में कार्यरत् निम्नलिखित नर्सिंग सिस्टर / हाउसकीपर को मैट्रन के पद पर वेतनमान पुनरीक्षित-वेतन बैंड पी.बी. 2 रूपयें 9300 – 34800 + ग्रेड पे 3200 में पदोन्नति कर उन्हे अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापना में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता हैं।

उन्हें पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान पर दिनांक 15.10.2013 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् ही पदोन्नति प्रभावशील होगी।

इन पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्पारिक वरिष्ठता पूर्ववत रहेगी, किन्तु समय–सीमा में कार्यभार ग्रहण नही करने पर वरियता पर विपरीत प्रभाव पडेगा। यदि समयावधि में किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

1. अनारक्षित वर्ग :–

अनु. क्र.	वरि. क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	31	श्रीमति बानो जहाँवाज	अनारक्षित	10.07.1999	जिला चिकित्सालय बुरहानपुर	जिला चिकित्सालय बुरहानपुर
2.	35	श्रीमती उमा यादव	अनारक्षित	07.10.1999	जिला चिकित्सालय बडवानी	जिला चिकित्सालय बडवानी
3.	39	श्रीमती ईला लता घुड़े	अनारक्षित	15.10.1999	जिला चिकित्सालय उज्जैन	जिला चिकित्सालय उज्जैन
4.	43	कुं. नगीना यूसूफ	अनारक्षित	16.10.1999	क्षय चिकित्सालय भोपाल	जिला चिकित्सालय भोपाल
5.	44	श्रीमती ए. आर. सेमसंन	अनारक्षित	26.10.1999	सामु.स्वा.के. विजय राघवगढ कटनी	जिला चिकित्सालय कटनी

(1) प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्रकाशित दिनॉक 11.06.2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति / जन जाति के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है।

(2) पदोन्नत नर्सिंग सिस्टर को कार्यमुक्त करने के पूर्व यह सुनिशिचित कर लेंवे कि संबंधित के विरूद्ध विभागीय जॉच / लोकायुक्त / न्यायालयीन / अनाधिकृत अनुपस्थिति / निलंबित इत्यादि कोई प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित हो तो उन्हें कार्यमुक्त / कार्यभार न कराते हुये इनकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि पदोन्नत हुए अनुसूचित जाति / जनजाति कर्मचारियों की सेवापुस्तिका की प्रविष्टि से सत्यापन करने के पश्चात् ही पदोन्नति का लाभ दिया जाये।

(3) उपरोक्त सभी की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नत हुए कर्मचारियों को समयावधि में कार्यमुक्त करें साथ ही आपके अधीन कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को दर्शाये स्थान पर पदभार ग्रहण करावें। इसकी जानकारी उप संचालक नर्सिंग को दिनॉक 20.10.2013 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले / नहीं करने वाले कर्मचारियों की सूचना अनिवार्य रूप से समय सीमा में भेजें। पदोन्नति आदेश की पुष्टि विभागीय वेबसाईट www.health.mp.gov.in से करें।

<u>आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ.पी.एन.एस.चौहान)
संचालक
चिकित्सा सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2013/9149 भोपाल, दिनांक 28.09.2013

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, मा0 मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि पदोंन्नति आदेश की प्रति स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन/भोपाल/बुरहानपुर/कटनी/बड़वानी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षक/सिविल अस्पताल/क्षय चिकित्सालय जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति पर दिनॉक 15.10.2013 तक कार्यभार ग्रहण करें एवं उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति उपसंचालक (नर्सिंग) को भेजें। यदि आपके द्वारा समयावधि मे कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपसे कनिष्ट कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर दिया जावेगा। इस बावत् किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. संबंधित कर्मचारी श्रीमती... ....की ओर पालनार्थ।
9. निज सहायक/स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें /उप संचालक नर्सिंग की ओर सूचनार्थ।
10. आदेश नस्ति।

(डॉ.पी.एन.एस.चौहान) 28/9/13

संचालक

चिकित्सा सेवाऐं

मध्यप्रदेश